उत्तर प्रदेश शासन,
लघु उद्योग अनुभाग–4
संख्या–1056 /18–4–2010–3(बजट)/09
लखनऊ : दिनांक 3/ मार्च,2010

कार्यालय ज्ञाप

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–3 लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 8,81,30,000.00 (रूपये आठ करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की बचते एतद्वारा निम्नानुसार वित्त विभाग को पुनर्ग्रहण हेतु समर्पित की जाती है:–

अनुदान संख्या–3 आयोजनागत — धनराशि हजार रूपये में

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	समर्पण हेतु धनराशि	बचत/समर्पण का कारण
"2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102– लघु उद्योग 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये 03–लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना 27–सब्सिडी"	78628	केन्द्रांश न मिलने के कारण बचत रही।
2851–ग्राम तथा लघु उद्योग 800– अन्य व्यय 14–वायुयान भाड़ा सहायता योजना 27 सब्सिडी	9500	वास्तविक देयों के आधार पर भुगतान कराये जाने के कारण बचतें रही।
4851–ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय 800– अन्य व्यय 4–जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 24– बृहत निर्माण कार्य	01	टोकन प्राविधान होने के कारण बचतें रहीं।
4851–ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03–उ0प्र0 निर्यात निगम लखनऊ को व्यापार एवं प्रदर्शनियों की अवस्थापना सुविधाओं हेतु अंश पूँजी 30–निवेश/ ऋण	01	टोकन प्राविधान होने के कारण बचतें रहीं।
योग	88130	

(राम किशोर)
अनु सचिव।

सचिव वित्त विभाग,
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–ई–6 /दस–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम रिपोर्ट (लेखा अनुभाग) उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कुल रू0 8,81,30,000.00 (रूपये आठ करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार मात्र) की बचतें वित्त विभाग द्वारा पुर्नग्रहीत कर ली गयी है।

(नीलिमा श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
2. निदेश,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
4. लघु उद्योग अनुभाग–3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।